

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, नई दिल्ली

बनाम

हिन्दुस्तान सेनेटरीवेयर एवं उद्योग

10 सितंबर, 2002

[सैयद शाह मोहम्मद कादरी और एस. एन. वरियावा, न्यायाधीश]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944:

आर.8(1)- अधिसूचना संख्या 217/86 दिनांक 2.4.1986 (अधिसूचना संख्या 82/87 (ई) द्वारा संशोधित)- इनपुट (उत्पादक सामग्री) के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस को उत्पाद शुल्क से छूट- सैनिटरीवेयर के निर्माता- प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे बनाते हैं और उन्हें अंतिम उत्पाद के रूप में सैनिटरीवेयर के निर्माण में इनपुट (उत्पादक सामग्री) के रूप में उपयोग करते हैं- अधिसूचना के तहत छूट का दावा- उत्पाद शुल्क अधिकारी छूट का लाभ देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन न्यायाधिकरण ने माना कि छूट की अधिसूचना लागू होगी- अभिनिर्धारित किया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग सैनिटरीवेयर (अंतिम उत्पाद) के निर्माण के संबंध में इनपुट के रूप में किया जाता है, को संशोधित अधिसूचना के तहत छूट दी जाती है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1627/1994

(अपील संख्या 3841/90-सी में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांकित 1.4.1991 से)

के साथ

सी.ए. 6219/1994

अपीलार्थियों की ओर से आर. पी. भट्ट, जी. वेंकटेश राव, के.सी. कौशिक और बी. के. प्रसाद।

मैसर्स लॉयर्स एसोसिएटेड की ओर से बी. सी. अहमद।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया।

ये दोनों अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के ई/अपील संख्या 3841/90-सी में आदेश संख्या 304/91-सी में दिये गए निर्णय दिनांक 1 अप्रैल 1991 और ई/अपील संख्या 2031/91-सी में आदेश संख्या 600/91-सी में दिए गए निर्णय दिनांकित 19 जुलाई 1991 से उत्पन्न होती हैं। 1 अप्रैल 1991 को ई अपील संख्या 3841/90-सी में आदेश संख्या 304/91-सी में दिए गए निर्णय का पालन 19 जुलाई 1991 को ई/अपील संख्या 2031/91-सी में आदेश संख्या 600/91 सी में किया गया है।

सैनिटरीवेयर के निर्माता, प्रतिवादी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के लिए इनपुट (उत्पादक सामग्री) के रूप में करता है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से सांचे बनाना शामिल है जिनका उपयोग सैनिटरीवेयर के निर्माण के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। प्रतिवादी ने अधिसूचना संख्या 217/86 (अधिसूचना संख्या 82/87- सीई द्वारा संशोधित) के तहत छूट के लाभ का दावा किया।

हालांकि इन मामलों में, उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने उनके आदेशों को रद्द कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी पर छूट लागू होगी।

राजस्व की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता आर. पी. भट्ट का यह तर्क है कि चूंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 के तहत वर्गीकृत माल हैं, इसलिए उन्हें इनपुट के रूप में नहीं माना जा सकता है; उन्हें अंतिम उत्पाद माना जाना चाहिए और चूंकि उन्हें छूट दी गई है, इसलिए प्रतिवादी अधिसूचना संख्या 217/86 के तहत छूट के लाभ का हकदार नहीं है।

हमें भय है कि हम विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। उक्त अधिसूचना इस प्रकार है:

"तैयार माल के निर्माण हेतु कारखाने में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट सामान।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं (इसके बाद 'इनपुट' के रूप में संदर्भित), जो किसी कारखाने में निर्मित की जाती हैं और उक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट अंतिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग में ली जाती हैं और उनके निर्माण से संबन्धित है, पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (5/1986) की अनुसूची में निर्दिष्ट है:

बशर्ते कि इस अधिसूचना में शामिल कोई भी छूट अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर लागू नहीं होगी, जिन्हे उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है या जिन पर शुल्क की शून्य दर प्रभार्य है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "इनपुट" में शामिल नहीं है-

(i) से (iv)***

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 2 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में तालिका के लिए निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाती है, अर्थात्:

तालिका

क्रमांक	इनपुट का विवरण	अंतिम उत्पाद का विवरण
1.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (5/1986) की अनुसूची के अध्याय....25.. के किसी भी शीर्षक के तहत वर्गीकृत माल (शीर्षक संख्या 36.05 या 37.06 के अंतर्गत आने वाले को छोड़कर)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (5/1986) की अनुसूची के अध्याय....69.. के किसी भी शीर्षक के तहत वर्गीकृत माल (शीर्षक संख्या 36.05 या 37.06 के अंतर्गत आने वाले को छोड़कर)

ऊपर उद्धृत अधिसूचना संख्या 82/87 द्वारा संशोधित अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि अध्याय 25 के तहत कॉलम (2) में दिए गए इनपुट का विवरण 'प्लास्टर ऑफ पेरिस' होगा और अध्याय 69 के अंतर्गत कॉलम (3) में दिया गया अंतिम उत्पाद 'सिरेमिक माल' होगा।

परंतु एक ऐसी स्थिति का अनुमान लगाता है जहां अंतिम उत्पाद को ही छूट दी जाती है, ऐसे मामले में अधिसूचना संख्या 217/86 के तहत केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अध्याय 69 के

अंतर्गत आने वाले सैनिटरीवेयर को केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई है। प्लास्टिक साँचों को छूट दी गई है, लेकिन वे केवल इनपुट के रूप में हैं और इस मामले में अंतिम उत्पाद नहीं हैं। इस तथ्य को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 221/86 में और स्पष्ट किया गया है, जिसे अधिसूचना संख्या 89/89 द्वारा संशोधित किया गया है। इसके मद संख्या 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साँचे सिरेमिक उत्पादों के लिए इनपुट हैं।

उपरोक्त चर्चा से, यह निष्कर्ष निकलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग सैनिटरीवेयर (अंतिम उत्पाद) के निर्माण के संबंध में इनपुट के रूप में किया जाता है, को संशोधित अधिसूचना संख्या 217/86 दिनांक 2 अप्रैल 1986 के तहत छूट दी गई है।

मामले के इस दृष्टिकोण से, हम उन आदेशों में, जिनको चुनौती दी गई है, कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

इसलिए, अपीलें खारिज की जाती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर. पी.

अपीलें खारिज की जाती हैं

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।